

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 8(3)एमई/ग्रुप-1/2018 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06 SEP 2022


आदेश

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क-2/78 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ख में किये गये संशोधन के टिप्पण संख्या 4 व 5 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक द्वारा एक बारगी विकल्प (One Time Option) प्रस्तुत किये जाने पर इनको इनकी मूल विशिष्टता से इनके नाम के सम्मुख अंकित सुपर स्पेशलिटी विशिष्टता में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से विस्थापित (Shift) किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक मय विशिष्टता	विस्थापन पर पद व सुपर स्पेशलिटी विशिष्टता	विस्थापन पर पदस्थापन स्थान
1	डॉ. सुनील डांगी, सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सहायक आचार्य, जी. आई. सर्जरी	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर


उक्त चिकित्सक शिक्षक का सुपर स्पेशलिटी विशिष्टता में विस्थापन इस शर्त के अधीन होगा कि इस विषय में एक से अधिक चिकित्सक शिक्षकों के विस्थापित होने पर उनकी वरियता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की मूल वरियता (मूल विशिष्टता की वरियता) के अनुसार रहेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,  
  
(इकबाल खान)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
5. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव